पत्र संख्या: /xxvii(11)c/2019

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखंड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
लेखा परीक्षा,
आयुक्त कर भवन, रिंग रोड,
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

वित्त आडिट प्रकोष्ठ देहरादून, दिनांक: 30 अप्रैल 2019

विषय : लेखा परीक्षा हेतु वार्षिक कार्य योजना वर्ष (2019-20) के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2019-20 में आडिट निदेशालय द्वारा किये जाने वाले निम्नलिखित विभागाध्यक्ष, कार्यालयों व संस्थाओं की लेखा परीक्षा कार्य योजना / वार्षिक कलेण्डर पर निम्नवत अनुमोदन प्रदान किया जाता है:-

क. श्रेणी 'ए' की संस्थायें

1- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

1	जिला पूर्ति अधिकारी	उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून, रूद्रप्रयाग, हरिद्वार,
2	क्षेत्रीय लेखाधिकारी खाद्य,	देहरादून,
3	उप नियंत्रक विधिक माप विज्ञान गढ़वाल सम्भाग	देहरादून
4	वरिष्ठ सम्भागीय लेखाधिकारी खाद्य	हल्द्वानी
5	बेस गोदाम	ऋषिकेश, विकासनगर, रामनगर, हल्द्वानी व कोटद्वार
6	राजकीय गोदाम	भटवाड़ी, पुरोला, गैरसैंण, थराली, पिथौरागढ़, बेरीनाग, धारचूला, गरूड़, चकराता, लोहाघाट, नई टिहरी, कैम्पटी, दुगड्डा, पौड़ी, श्रीनगर, रूद्रप्रयाग, गुप्तकाशी, कटारमल, खुमाड़, द्वाराहाट व मरचूला खैन।

2- पशुपालन

1	मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी	उत्तरकाशी, रूद्रपुर, चम्पावत, गोपेश्वर, नरेन्द्रनगर, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रूद्रप्रयाग व हरिद्वार,

2	पशु चिकित्सा अधिकारी ग्रेड -1	नौगांव, भटवाड़ी, जसपुर, बाजपुर, सितारगंज, खटीमा, टनकपुर, बागेश्वर, कर्णप्रयाग, देवाल, नारायणबगड़, चम्बा, प्रतापनगर, बेतालघाट, हल्द्वानी, कपकोट, काण्डा, गरूड़, अगस्त्यमुनि, ऊखीमठ व जखोली।
3	पशु चिकित्सा अधिकारी	चम्पावत, धारी, रामगढ़, खानपुर व बहादराबाद।

3- ग्राम्य विकास

1	अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग	अल्मोड़ा, द्वाराहाट नरेन्द्रनगर व ग्यूणी
2	अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	द्वाराहाट व कपकोट
3	अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 लोक निर्माण विभाग	पुरोला, पोखरी, काठगोदाम व पिथौरागढ़
4	अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड	देहरादून
5	अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड लोक निर्माण विभाग	नैनीताल, पिथौरागढ़, श्रीनगर, कोटद्वार
6	अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग	हरिद्वार

4- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

1	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, ऊधमसिंहनगर, टिहरी, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, रूद्रप्रयाग, हरिद्वार
2	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय	अल्मोड़ा, नरेन्द्रनगर, हरिद्वार
3	प्रभारी चिकित्साधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	ताकुला, भटवाड़ी, डुण्डा, कलाखेड़ा, बेरीनाग, खिर्सू, जयहरीखाल व ऊखीमठ
4	प्रभारी चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	किच्छा, बाजपुर, थत्यूड़, देवप्रयाग, गंगोलीहाट, डीडीहाट, नैनीडाण्डा, अगस्त्यमुनि, लक्सर व नारसन।
5	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जी0एस0मेहता राजकीय चिकित्सालय	रानीखेत

6	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जी0बी0पन्त चिकित्सालय	नैनीताल
7	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक बेस चिकित्सालय	अल्मोड़ा, श्रीनगर
8	चिकित्सा अधीक्षक एल0डी0भट्ट चिकित्सालय	काशीपुर
9	चिकित्सा अधीक्षक संयुक्त चिकित्सालय	टिहरी,
10	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक संयुक्त चिकित्सालय	कोटद्वार, रूड़की
10	प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय	नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल
11	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला महिला चिकित्सालय	नैनीताल, हल्द्वानी, पिथौरागढ़,

6- लघु सिंचाई

1	अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई	अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, रूद्रपुर, चम्पावत, गोपेश्वर, टिहरी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, बागेश्वर, रूद्रप्रयाग व हरिद्वार
2	मुख्य अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई	देहरादून

7- लोक निर्माण विभाग

1	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग	अल्मोड़ा, पुरोला, काशीपुर, हल्द्वानी, नैनीताल, गुप्तकाशी व रूड़की
2	अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग	रानीखेत, रूद्रपुर, चम्पावत, कर्णप्रयाग, देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर व रूद्रप्रयाग,
3	अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खण्ड, लोक निर्माण विभाग	ऋषिकेश व मढ़िया,
4	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक खण्ड, लोक निर्माण विभाग	ऋषिकेश
5	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड	पौड़ी व दुगड्डा

8- वन एवं पर्यावरण

1	प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा वन प्रभाग	अल्मोड़ा
2	प्रभागीय वनाधिकारी सिविल सोयम अल्मोड़ा वन प्रभाग	अल्मोड़ा
3	प्रभागीय वनाधिकारी टोंस वन प्रभाग	पुरोला
4	प्रभागीय वनाधिकारी अपर यमुना वन प्रभाग	बड़कोट

5	प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत वन प्रभाग	चम्पावत
6	प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग	गोपेश्वर
7	प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग अलकनन्दा	गोपेश्वर
8	प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग	मसूरी
9	प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग	चकराता
10	प्रभागीय वनाधिकारी तराई पश्चिम वन प्रभाग	रामनगर
11	प्रभागीय वनाधिकारी तराई केन्द्रीय वन प्रभाग	हल्द्वानी
12	प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग	हल्द्वानी
13	प्रभागीय वनाधिकारी हल्द्वानी वन प्रभाग	हल्द्वानी
14	प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर वन प्रभाग	रामनगर
15	प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ वन प्रभाग	पिथौरागढ़
16	प्रभागीय वनाधिकारी सिविल सोयाम पौड़ी वन प्रभाग	पौड़ी गढ़वाल
17	प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग	पौड़ी गढ़वाल
18	प्रभागीय वनाधिकारी कालागढ़ टाईगर रिजर्व	लैंसडोन
19	प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग	बागेश्वर
20	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग	रूद्रप्रयाग
21	वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त	अल्मोड़ा
22	वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त	नैनीताल
23	वन संरक्षक गढ़वाल	पौड़ी गढ़वाल
24	उपनिदेशक गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क	उत्तरकाशी
25	निदेशक राजाजी टाईगर रिजर्व	देहरादून
26	वन वर्धनिक उत्तराखण्ड	नैनीताल
26	वन वर्धनिक माल	हल्द्वानी

9- समाज कल्याण

1	जिला समाज कल्याण अधिकारी	अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, ऊधमसिंहनगर, चम्पावत, चमोली, नरेन्द्रनगर, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, बागेश्वर, रूद्रप्रयाग, हरिद्वार,
2	निदेशक, समाज कल्याण	हल्द्वानी
5	प्रधानाचार्य राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय	लांगापोखरी, गोठी हाल बलुवाकोट
6	प्रधानाचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय	कालसी

	विद्यालय	
7	परियोजना अधिकारी एकीकृत जनजाति विकास योजना परियोजना	कालसी

10- सिंचाई

1	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड	पुरोला, सितारगंज, रूद्रपुर, काशीपुर, चमोली, टिहरी, कालसी, देहरादून, ननैनीताल, हल्द्वानी, बागेश्वर, कपकोट, केदारनाथ, गुप्तकाशी, रूड़की, हरिद्वार व उत्तरकाशी।
2	अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड	बाजपुर, देहरादून, हल्द्वानी

11 - स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन

1	सब रजिस्ट्रार	अल्मोड़ा, बागेश्वर, हल्द्वानी I हल्द्वानी II, नैनीताल, पिथौरागढ़, बाजपुर, काशीपुर

ख. श्रेणी बी विभाग

1- आई .सी डी.एस

1	जिला कार्यक्रम अधिकारी	अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, उधमसिंहनगर, चम्पावत, चमोली, नरेंद्रनगर, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, पौड़ी गढवाल, बागेश्वर, हरिद्वार
2	बाल विकास परियोजना अधिकारी	ताकुला, द्वाराहाट, स्याल्दे, पुरोला मोरी, भटवाड़ी, रुद्रपुर ग्रामीण, रुद्रपुर शहर, काशीपुर शहर, काशीपुर ग्रामीण, चम्पावत, पाटी, जोशीमठ, कर्णप्रयाग, नरेन्द्रनगर, चंबा, देहरादून शहर, डोईवाला, सहसपुर, रायपुर, रामनगर, हल्द्वानी शहर, हल्द्वानी ग्रामीण,विण, धारचूला, पौड़ी, दुग्ग्दा, यमेक्श्वर, बागेश्वर, कपकोट, रूडकी शहर, रूडकी प्रथम, मंगलौर, हरिद्वार शहर

2- कृषि

1	मुख्य कृषि अधिकारी	अल्मोड़ा,उत्तरकाशी,उधमसिंहनगर,चम्पावत नैनीताल, पिथौरागढ़, पौड़ी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार
2	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी	अल्मोड़ा, भिक्यासैण, उत्तरकाशी, मोरी, रुद्रपुर, काशीपुर, लोहाघाट, भीमताल, धारी, डीडीहाट, पिथौरागढ़, कोटद्वार,

3	प्रभारी राजकीय भूमि संरक्षण संस्थान	धुमाकोट, बागेश्वर , अगस्तमुनि, रूडकी , बहादराबाद मझखोली, श्रीनगर

ग. विश्विद्यालय एवं अन्य संस्थाए

1- मण्डी समितियां

1	मण्डी समिति	जसपुर, बाजपुर, काशीपुर, सितारगंज, ऋषिकेश, रूडकी, मंगलौर, रामनगर व कोटद्वार

2- विकास प्राधिकरण

1	दूनघाटी विशेष प्राधिकरण	देहरादून
2	हरिद्वार विकास प्राधिकरण	हरिद्वार
3	गंगोत्री विशेष क्षेत्र प्राधिकरण	उत्तरकाशी

3- विश्वविधालय

1	कुमाऊँ विश्वविद्यालय	नैनीताल
2	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय	हल्द्वानी
3	उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय	देहरादून
4	दून विश्वविद्यालय	देहरादून
5	श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय	टिहरी

4- उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

1	उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	देहरादून

घ. टी जी एस के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण निकायों की वित्तीय एवं प्रमाणीकरण लेखापरीक्षा

1	नगर पालिका परिषद	अल्मोड़ा, मसूरी, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, नई टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल
2	नगर निगम	देहरादून, ऋषिकेश ,हरिद्वार, रूडकी, कोटद्वार, रूद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी

घ. शहरी निकाय

क्र सं	जिला का नाम	शहरी निकाय का नाम
1	देहरादून	नगर पालिका डोईवाला, विकासनगर
2	हरिद्वार	नगर पालिका शिवालिक नगर मंगलौर
		नगर पंचायत झबरेड़ा, लंढौर, भगवानपुर, पिरान कलियर
3	उत्तरकाशी	नगर पालिका बडकोट
		नगर पंचायत गंगोत्री, चिन्यालीसौड़
4	चमोली	नगर पालिका जोशीमठ, चमोली
		नगर पंचायत नन्द प्रयाग, पोखरी
5	टिहरी	नगर पालिका नरेन्द्रनगर, मुनिकी रेती
		नगर पंचायत चंबा, देवप्रयाग, कीर्तिनगर, गजा
6	रुद्रप्रयाग	नगर पालिका रुद्रप्रयाग
		नगर पंचायत उखीमठ
7	पौड़ी	नगर पालिका दुगड्डा
8	पिथौरागढ़	नगर पालिका धारचूला
		नगर पंचायत डीडीहाट,मुनस्यारी
9	चम्पावत	नगर पालिका चम्पावत
10	अल्मोड़ा	नगर पंचायत, चौखुटिया, भिकियासैन
11	नैनीताल	नगर पालिका रामनगर
		नगर पंचायत लालकुआं, कालाढुंगी
12	उधमसिंहनगर	नगर पालिका खटीमा
		नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी, शक्तिगढ, नानकमत्ता

जिला पंचायतें

1	जिंला पंचायत	चमोली, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, उधमसिंहनगर, रुद्रप्रयाग

लेखा परीक्षा हेतु मुख्य बिन्दु निम्नवत् है:-

(i) लेखा परीक्षा का कार्य अनिवार्य रूप से ऑनलाइन लेखापरीक्षा प्रबंधन प्रणली द्वारा किया जायेगा। लेखा परीक्षा कार्ययेाजना लेखापरीक्षा दल को ऑनलाइन माध्यम से निर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(ii) निदेशालय लेखापरीक्षा द्वारा लेखा परीक्षा दल के आवंटन उपरांत प्रथम त्रैमास कार्यक्रम तीन कार्य दिवसों में लेखापरीक्षा दलों को ऑनलाइन माध्यम से निर्गत किया जाना सुनिश्चित करें ।

(iii) वार्षिक लेखन परीक्षा कार्यक्रम एवम लेखा परीक्षा दल गठन हेतु वित् ऑडिट प्रकोष्ठ एवम निदेशालय लेखा परीक्षा के अधिकारियों की बैठक आहूत की गयी थी । बैठक में वार्षिक कार्ययोजना एवम लेखा परीक्षा दल पर विस्तृत चर्चा एवम सम्यक विचारोपरांत वार्षिक लेखा परीक्षा कार्यक्रम एवम लेखा परीक्षा दलों के गठन पर संस्तुति की गयी है । वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ एवम निदेशालय लेखा परीक्षा के अधिकारियों की संस्तुति के क्रम में **(संलग्नक-1)** के अनुसार लेखा परीक्षा कार्ययोजना हेतु लेखा परीक्षा दलों के गठन पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है ।

ऑडिट दलों का गठन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

1- ऑडिट दल में सामान्यतयाँ दो सदस्य हैं । जिसमें लेखा परीक्षा अधिकारी/सहायक निदेशक/जिला लेखा परीक्षा अधिकारी या सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी टीम लीडर हैं ।

2- ऑडिट दलों के लिए 160-170 कार्य दिवसों का कार्यक्रम बनाया गया है । सम्बन्धित लेखा परीक्षा कार्यक्रम 03 त्रैमास हेतु तैयार किया गया है एवम श्रेणी 'सी' हेतु लेखा परीक्षा कार्यक्रम पृथक से निर्गत किया जायेगा ।

(iv) लेखा परीक्षा के समस्त कार्य ऑनलाइन ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा किये जायेगे, इस हेतु समस्त लेखा परीक्षा दलों को पूर्व में प्रशिक्षण दिया गया है । इसके अतिरिक्त एक बार पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम आहूत किया जायेगा ।

(v) आडिट का सम्पादन उत्तराखण्ड आडिट मैनुअल, 2011 (शासनादेश संख्या: 275/xxvii (7)/2011 दिनांक: 29 नवम्बर, 2011), उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा अधिनियम, 2012 एवं समय पर शासन द्वरा जारी किये गए निर्देशों के अनुसार की जएगी ।

(v) लेखापरीक्षा रिपोर्ट आडिट दल द्वारा ऑनलाइन माध्यम के अनुसार निर्धारित समयावधि में निदेशालय लेखा परीक्षा को उपलब्ध करायी जाएगी। इसके उपरान्त ही आडिट दल को यात्रा भत्ता देय होगा।

(VI) लेखा परीक्षा हेतु समय सामान्यत: 02 सदस्यीय आडिट टीम हेतु अवधारित है। विभिन्न राजकीय विभागों/नगर निगम/नगर पालिका /विभिन्न संस्थाओं के लिए ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत ही लेखा परीक्षा हेतु समय आंवटित किया गया हैं ।

(vii) लेखा परीक्षा अभिलेखों पर आधारित होगी, लेखा परीक्षा दल द्वारा लेखा परीक्षा टिप्पणियों, आपत्तियों के संबन्ध में साक्ष्यों (working Documents) को ऑनलाइन ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत अपलोड करते हुए लेखा परीक्षा रिपोर्ट, निदेशालय लेखा परीक्षा को प्रस्तुत की जाएगी ।

(viii) लेखापरीक्षा रिपोर्ट एक्सपर्ट कमेटी (expert committee) के सम्मुख ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत की जायेगी। निदेशालय, लेखा परीक्षा में आडिट रिपोर्ट प्राप्त होने पर एक माह में पर्यवेक्षक अधिकारी द्वारा रिपोर्ट की समीक्षा उपरांत एक्सपर्ट कमेटी के सम्मुख आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी। समय की शिथिलता किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं की जायेगी।

(ix) आडिटी विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सूचना प्रपत्र (information sheet) ऑनलाइन ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से भरी जाएगी, यदि किसी कारण से सूचना प्रपत्र (information sheet) नहीं दिया जाता है तो निदेशालय द्वारा शासन को अवगत कराया जायेगा। किन्तु लेखें की लेखा परीक्षा नियत तिथि पर ही प्रारम्भ की जायेगी। इस सबंध में सम्बंधित प्रशासकीय विभाग से ऑडिट में ऑडिटी द्वारा अपेक्षित सहयोग न दिए जाने के लिए उत्तराखंड लेखापरीक्षा अधिनियम, 2012 के सुसगंत प्रावधानों के अनुसार पत्राचार किया जायेगा ।

(X) आडिट रिपोर्ट मे संस्थाओं में चल रही केन्द्र पोषित योजनाओं के किर्यान्वयन/फंडिग पैर्टन/ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण/ सार्वजानिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पर विशेष टिप्पणी की जायेगी।

(xi) **आडिट सम्पादित करने के लिये टेस्ट आडिट पद्धति/कार्यप्रणाली अपनाई जायेगी।** टेस्ट आडिट पद्धति हेतु सैम्पलिंग के रुप में आय पक्ष हेतु एक माह एवं व्यय पक्ष हेतु दो माह का लेखा परीक्षा दल द्वारा प्रतिवर्ष चयन किया जायेगा। आय की लेखा परीक्षा को सम्पादित करने हेतु वर्ष में वह माह चयनित किया जायेगा जिसमें अधिकतम् आय (ब्याज को छोड़कर) होगी। इसी प्रकार अधिकतम व्यय वाले दो माह का चयन व्यय की लेखा परीक्षा हेतु किया जायेगा।

(xii) इसके अतिरिक्त जिन विभागों/संस्थाओं में निर्माण कार्य संपादित किये गए हैं, जो कि पूर्ण/ 75% प्रतिशत तक पूर्ण हो गए हों, उनमें से पांच बडी परियोजनाओं को परियोजना लागत के अनुसार प्रारंभिक चरण से अंतिम चरण तक की विस्तृत लेखा परीक्षा की जायेगी, इस हेतु लेखापरीक्षा वर्ष की अवधि के स्थान पर पूर्ण परियोजना अवधि की समीक्षा करते हुए लेखापरीक्षा की जाएगी ।

(XIII) उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के नियम 68 के अनुसार "लेखापरीक्षा (विशेषकर आंतरिक लेखा परीक्षा) रिपोर्ट में विभागीय अधिप्राप्ति और क्रय का विस्तृत विश्लेषण का होना अनिवार्य होगा" । अतः रु 25 लाख से अधिक धनराशि के किसी प्रकार की अधिप्राप्ति (सामग्री / कार्य / सेवाएँ) की नियमावली के नियम के अनुसार शत प्रतिशत लेखापरीक्षा की जाएगी । इसके अतिरिक्त 2.5 लाख से 25 लाख तक 25% लेखापरीक्षा की जाएगी । इस से कम धनराशि की 15% अधिप्राप्ति की लेखापरीक्षा किया जाना सुनश्चित किया जायेगा ।

(XIV) अधिष्ठान के अंतर्गत वेतन निर्धारण, पेंशन एवं ए.सी.पी. के प्रकरणों की लेखापरीक्षा किया जाना अनिवार्य होगा । लेखा परीक्षा दल द्वारा किसी भी कार्यालय के 25% कार्मिकों के छठा एवं सातवा वेतन निर्धारण, गत वर्ष की 100% पेंशन निर्धारण की लेखापरीक्षा की जाएगी । इसके अतिरिक्त ए.सी.पी. लेखा परीक्षा वर्ष के समस्त प्रकरण की जाँच किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

(xiv) विशेष परिस्थिति में आवश्यकतानुसार लेखा परीक्षा के कार्यदिवसों में अधिकतम 10 प्रतिशत की वृद्धि टीम लीडर द्वारा, पर्यवेक्षक अधिकारी के अनुमोदन उपरांत की जा सकती है । पर्यवेक्षक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित अनुमोदन आवेदन किये जाने के दो दिवसों के अंतर्गत दिया जायेगा । पर्यवेक्षक अधिकारी द्वारा आवेदन अस्वीकार किये जाने की स्थिति में तत्काल टीम को अवगत किया जायेगा ।

(XV) इसके अतिरिक्त विशेष परिस्थिति में आवश्यकतानुसार लेखा परीक्षा के कार्यदिवसों में अधिकतम 33.33 प्रतिशत की वृद्धि निदेशक लेखापरीक्षा द्वारा, पर्यवेक्षक अधिकारी की संस्तुति उपरांत की जा सकती है । निदेशक लेखापरीक्षा द्वारा सम्बन्धित अनुमोदन आवेदन किये जाने के एक सप्ताह के अंतर्गत दिया जायेगा । निदेशक लेखापरीक्षा द्वारा आवेदन रिजेक्ट किये जाने की स्थिति में टीम को तीन कार्य दिवसों में अवगत किया जायेगा ।

(XVI) निदेशालय लेखापरीक्षा द्वारा समय वृद्धि अनुमन्य करने से पूर्व जनशक्ति, लेखापरीक्षा कार्ययोजना की प्रगति पर विशेषकर ध्यान दिया जायेगा ।

(XVII) वित्त विभाग द्वारा वर्ल्ड बैंक प्रयोजित 'उत्तराखंड वित्तीय प्रबंधन सुद्रीकरण योजना ' वर्ष 2019 से क्रियान्वित की जा रही है, जिसका ऑडिट निदेशालय एक प्रमुख संघटक है । सम्बन्धित परियोजना Disbursment Linked Indicator के अनुसार विभिन्न कार्य निर्धारित समय अवधि में पूर्ण किया जाना आवश्यक है । जिसके उपरांत ही वर्ल्ड बैंक द्वारा विधिवत सत्यापन उपरांत ही राज्य सरकार को धनराशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

इस क्रम में प्रथम दो वर्षो में ऑडिट निदेशालय द्वारा 'श्रेणी ए' के अंतर्गत विभिन्न विभागों, संस्थाओ की न्यूनतम 20% आन्तरिक लेखापरीक्षा पूर्ण की जाएगी एवं सम्बन्धित लेखा परीक्षा रिपोर्ट ऑनलाइन माध्यम से दो माह में विभाग को निर्गत की जाएगी । इसके अतिरिक्त शहरी एवं ग्रामीण निकायों जिनके द्वारा विगत वित्तीय वर्ष के समस्त वित्त्तीय विवरण निर्धारित प्रारूप तैयार किये गए हों, उसमे से न्यूनतम 40% प्रमाणीकरण लेखा परीक्षा पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा ।

(XIX) प्रथम चरण के अंतर्गत प्रमाणीकरण लेखापरीक्षा हेतु शहरी निकायों के वित्तीय विवरण ऑनलाइन माध्यम से अपलोड किये जाने हेतु ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली में मोड्यूल विकिसित किया जा रहा हैं । इसके अतिरिक्त द्वितीय चरण में ग्रामीण निकायों के वित्तीय विवरणों (CAG -8 Formats) ऑनलाइन माध्यम से विकसित किये जाने के उपरांत क्षेत्र एवं ग्राम पंचायतें पृथक से लेखापरीक्षा दलों को आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया हैं ।

(XX) टीम लीडर द्वारा ऑनलाइन माध्यम से पर्यवेक्षक अधिकारी को लेखा परीक्षा कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में दैनन्दिनी द्वारा अवगत कराया जायेगा। पर्यवेक्षक अधिकारी प्रत्येक माह निदेशक, लेखा परीक्षा को लेखापरीक्षा कार्य प्रगति, आपत्ति निस्तारण इत्यादि के सम्बन्ध में अवगत करायेगें।

(XXI) पर्यवेक्षक अधिकारियों द्वारा लेखा परीक्षा दल का निरीक्षण प्रत्येक माह कम से कम दो बार अनिवार्य रूप से फ़ील्ड/ लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र में किया जायेगा। पर्यवेक्षक अधिकारियों द्वारा टीमों का औचक निरीक्षण किया जाना भी अपेक्षित होगा। जिसमें पर्यवेक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा दलों को लेखा परीक्षा के समय मार्गदर्शन एवं सहयोग दिया जायेगा । इसकी आख्या ऑनलाइन माध्यम से निरीक्षण उपरान्त एक सप्ताह में प्रस्तुत की जायेगी। किन्तु, इस प्रतिबन्ध के साथ की अर्धवार्षिक तक समस्त लेखा परीक्षा टीमों का पर्यवेक्षण किया गया हो ।

(xXII) यदि टीम लीडर किसी कारण से अवकाश पर रहता है। इस स्थिति में लेखा परीक्षा का कार्य टीम के सदस्य द्वारा सम्पादित किया जायेगा। ऑनलाइन माध्यम में इस सम्बन्ध में अलग से व्यवस्था की जाएगी.

(xXIII) लेखा परीक्षा दल द्वारा त्रैमास के अंत में यह सुनिश्चित किया जायेगा, कि प्रत्येक त्रैमास के समस्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन निर्धारित समयानुसार निदेशालय लेखा परीक्षा/पर्यवेक्षक अधिकारी को ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत किये जायें।

(XXIV) यदि आडिटी द्वारा लेखा परीक्षा प्रारम्भ करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो सम्बन्धित कारणों को लिखित रूप में प्राप्त कर लेखा परीक्षा दल द्वारा निदेशालय को तत्काल अवगत कराया जायेगा ।

(XXV) पर्यवेक्षकों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके अन्तर्गत समस्त आडिट टीम के पास लेखा परीक्षा कार्य है। लेखा परीक्षा दल का वार्षिक कार्यक्रम पूर्ण हेाने की स्थिति में अतिरिक्त लेखा परीक्षा आवंटित करने हेतु शासन को एक माह पूर्व संसूचित किया जायेगा।

(XXVI) लेखापरीक्षा दलों द्वारा सर्वप्रथम श्रेणी "ए" के लेखो का आवंटन किया जायेगा, तद्दुपरांत नगर निगमों एवं नगर पालिकाओ की लेखापरीक्षा का आवंटन किया जायेगा । निदेशालय द्वारा नगर निकायों की लेखापरीक्षा प्रारंभ किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा, कि सम्बन्धित नगर निकायों के वित्तीय विवरण प्रमाणीकरण लेखापरीक्षा हेतु लेखा परीक्षा दल को ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध करायी जाये ।

(xxvii) विभागों की लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 की सम्पादित की जायेगी। नगर निगम, नगर पालिका, एवं इसके अतिरिक्त विभिन्न विश्वविद्यालय, विकास प्राधिकरण एवं मण्डी समितियां की लेखा परीक्षा अद्यावधिक की जायेगी। यदि महालेखाकार लेखा परीक्षा द्वारा टी0जी0एस0 के अन्तर्गत आवंटित लेखों की लेखा परीक्षा सम्पन्न कर ली गयी हो तो उसके बाद के वर्षों की लेखा परीक्षा आडिट दल द्वारा सम्पन्न की जायेगी, किन्तु नगर निकायों की प्रमाणीकरण लेखापरीक्षा अद्यावधिक की जायगी ।

(XXVIII) लेखा परीक्षा टीमें समय का पूर्ण सद्पयोग करते हुए निर्धारित कार्यदिवसों में यथासम्भव बचत भी प्रदान करना सुनिश्चित करेगें।

(xxix) प्रत्येक त्रैमास कार्यक्रम में 02 अतिरिक्त लेखों की लेखा परीक्षा हेतु आवंटित किये जायेगे । अतिरिक्त लेखों की लेखा परीक्षा उसी स्थिति में सम्पादित की जायेगी, जबकि आवंटित लेखा परीक्षा संस्थाओं में से किसी संस्था द्वारा निर्धारित तिथि को लेखा परीक्षा कराये जाने के सम्बन्ध में लिखित रूप में असमर्थता व्यक्त की गयी हो। निदेशालय द्वारा स्थगित की गयी आडिटी संस्था के स्थान पर अतिरिक्त आवंटित संस्था के साथ समन्वय स्थापित करते हुए लेखा परीक्षा हेतु तिथि निर्धारित की जायेगी। इस सम्बन्ध में ऑनलाइन ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम में सर्वप्रथम लेखापरीक्षा कार्यक्रम में यथा संशोधन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(xxx) टीम लीडर पर्यवेक्षक अधिकारी को लेखा परीक्षा में किये गये कार्यों के बारे में ऑनलाइन ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा अवगत कराएगा। पर्यवेक्षक अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम के उनके द्वारा आडिट दलों के लेखापरीक्षा कार्यों का निरन्तर पर्यवेक्षण किया जाना सुनिश्चित करेगें।

(xxxi) लेखा परीक्षा के दौरान आडिटी को अंतरिम आपत्तियां/ हाफ मेमो मार्जिन (Rough Note)ऑनलाइन माध्यम से निर्गत की जायेंगी। जिनका परिपालन सम्बन्धित आडिटी से लेखा परीक्षा पूर्ण होने से पूर्व या अधिकतम श्रेणी "ए" लेखो हेतु तीन कार्यदिवस एवं श्रेणी "बी" लेखों हेतु दो कार्य दिवस ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त करते हुए केवल अनिस्तारित व अपरिपालित आपत्तियों को सम्मिलित कर ड्राफ्ट लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (अन्तरिम आपत्तियां व परिपालन आख्या अपलोड कर) लेखन हेतु दी गयी अवधि में तैयार कर अनुमोदन हेतु निदेशालय लेखा परीक्षा को ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत किया जायेगा।

(xxxii) वार्षिक कार्ययोजना, 2019-20 हेतु लेखा परीक्षा कार्य दिनांक: 15 मई 2018 से प्रारम्भ किया जायेगा। उक्त तिथि से पूर्व समस्त लेखा परीक्षा दल अपने पूर्व कार्ययोजना से सम्बन्धित समस्त कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इसके उपरांत समस्त लेखा परीक्षा के कार्य एवं लेखा परीक्षा चरण ऑनलाइन माध्यम से सम्पादित किये जायेगे।

(xxxiii) समस्त टीम लीडरों एवं सदस्यों द्वारा हाफ मेमो मार्जिन (रफ़ नोट) ड्राफ्ट लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, अंतिम लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम में मंगल/ऐरल यूनिकोड के (font size 12) में टंकित किये जायेगे ।

(xxxiv) लेखा परीक्षा हेतु समय 02 सदस्यीय आडिट टीम हेतु अवधारित है। टीम में सदस्यों की संख्या में अवकाश की दशा में उपरोक्त निर्धारित समय में अनुपातिक रूप से वृद्धि अनुमन्य होगी, किन्तु अनुपस्थिति यथासम्भव न हो यह भी सुनिश्चित किया जाय।

लेखा परीक्षा रिपोर्ट हेतु निम्लिखित मानकों का अनुपालन लेखापरीक्षा दलों /पर्यवेक्षक अधिकारियो द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा -:

क. लेखापरीक्षा रिपोर्ट पूर्ण होनी चाहिए ।

ख. यथार्थता (Accuracy) हेतु आवश्यक है की प्रस्तुत किये गए प्रमाण सत्य हो तथा निष्कर्षो को सही रूप से अभिलेखित किया जाये।

ग. वतुनिष्ठता (Objectivity) के लिए आवश्यक है कि सम्पूर्ण रिपोर्ट में प्रकरण के प्रस्तुतिकरण में संतुलन हो।

घ. विश्वसनीय (being convincing) होने के लिए आवश्यक है की लेखापरीक्षा की संस्तुतियां प्रयोजनपूर्वक हो तथा प्रस्तूत तथ्यों से निष्कर्ष और सिफारिशों का तार्किक अनुपालन किया जाये।

ङ. स्पष्ट हेतु आवश्यक है कि रिपोर्ट पढ़ने तथा समझने में सरल हो ।

च. संक्षिप्त(Concise) होने के लिए आवश्यक हैं की लेखापरीक्षा संस्तुतियां तथा रिपोर्ट आवश्यकता से अधिक लम्बी न हो ।

छ. सामयिकता (timeliness) के लिए अपेक्षित हैं कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट को विशिष्ट रिपोर्ट शासन में प्रशासकीय विभागों/लेखापरीक्षित ऑडिटी जिसे उचित कार्यवाही करनी है को यथासमय उपलब्ध करायी जाये ।

<u>संलग्नक उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त।

<u>पत्र सं0-22 /xxvii(11)c/2019 तद्दिनांकित</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>

1. सम्बन्धित प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, वैभव पैलेस, इन्दिरानगर, देहरादून।
3. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
4. सम्बन्धित वित्त नियन्त्रक/वित्त अधिकारी।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त।